

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

पूरे भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिये ज़िम्मेदार केंद्रीकृत [नागरिक पंजीकरण प्रणाली \(CRS\) पोर्टल](#) को गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

- [जन्म और मृत्यु पंजीकरण \(संशोधन\) अधिनियम 2023](#) के अनुसार **1 अक्टूबर 2023** से भारत में सभी जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण CRS पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाएगा।
 - डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र वभिन्न सेवाओं के लिये जन्म तथिके प्रमाण के रूप में कार्य करेंगे।
 - केंद्रीकृत डेटाबेस [राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर \(NPR\)](#), [राशन कार्ड](#), संपत्ति पंजीकरण और [मतदाता सूची](#) को अद्यतन करेगा।
 - वर्ष 2010 में एक्टर और वर्ष 2015 में अद्यतन NPR में 119 करोड़ नविसयियों का डेटाबेस है।
 - अब तक 23 राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश नए पोर्टल पर आ चुके हैं। **तमलिनाडु जैसे राज्य जनिके पास अपने पोर्टल हैं**, वे वर्ष 2023 के संशोधन के अनुसार अनिवार्य रूप से वास्तविक समय के आधार पर केंद्र को डेटा भेजते हैं।
- राज्यों ने CRS पोर्टल के संबंध में चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिनमें धीमी गति से कार्य करने, अनेक त्रुटि संदेश और डेटा समन्वयन समस्याएँ शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब हो रहा है।

और पढ़ें: [भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/civil-registration-system-crs-portal>